



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274951
CG-DL-E-29072026-274951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3977]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3977]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4147(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH373 के कि.मी. 79.830 से कि.मी.80.650 (हंगरहल्ली के पास) के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् ए सी हसन, सब डिवीजन, हसन को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH373 के कि.मी. 79.830 से कि.मी.80.650 (हंगराहल्ली के पास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: हस्सान		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: होल नर्सिपुर					
गांव का नाम: अमनीडोडुकेरे					
1	106/1	निजी	(बेट)	50 (वर्ग मीटर)	0.005
2	106/3	निजी	(गार्डन)	253 (वर्ग मीटर)	0.0253
गांव का नाम: हंगराहल्ली					
3	19/1	निजी	(झाय)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
4	19/2	निजी	(झाय/गार्डन)	750 (वर्ग मीटर)	0.075
5	19/3	निजी	(झाय)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
6	19/4	निजी	(झाय)	175 (वर्ग मीटर)	0.0175
7	3/1	निजी	(झाय)	202.343 (वर्ग मीटर)	0.0202343
8	3/2	निजी	(एलिनेशन)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
9	3/4	निजी	(झाय)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
10	4/1	निजी	(एलिनेशन)	202.343 (वर्ग मीटर)	0.0202343
11	4/2	निजी	(एलिनेशन)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
12	6/1	निजी	(झाय)	379 (वर्ग मीटर)	0.0379
13	7/10	निजी	(झाय)	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
14	7/11	निजी	(झाय)	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
15	7/12	निजी	(झाय)	126 (वर्ग मीटर)	0.0126
16	7/13	निजी	(झाय)	25 (वर्ग मीटर)	0.0025
17	7/7	निजी	(झाय)	25 (वर्ग मीटर)	0.0025

18	8/13	निजी	(झाय)	252 (वर्ग मीटर)	0.0252
19	8/4	निजी	(एलिनेशन)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
20	8/7	निजी	(झाय)	151 (वर्ग मीटर)	0.0151
21	8/8	निजी	(झाय)	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
22	8/9	निजी	(झाय)	50 (वर्ग मीटर)	0.005
Total					0.3747686

[फा. सं. Rw/BNG/NII-373/Km79.830-80.650/15/2023/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4147(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH373 in the stretch of land from Km. 79.830 to Km. 80.650 (Near Hangarahalli) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, AC Hassan, Sub - Division, Hassan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 79.830 to Km. 80.650 (Near Hangarahalli) of NH 373 in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: HASSAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hole Narsipur					
Village: Amanidoddakere					
1	106/1	Private	(Wet)	50 (Square Meter)	0.005
2	106/3	Private	(Garden)	253 (Square Meter)	0.0253

Village: Hangarahalli					
3	19/1	Private	(Dry)	151 (Square Meter)	0.0151
4	19/2	Private	(Dry/Garden)	750 (Square Meter)	0.075
5	19/3	Private	(Dry)	151 (Square Meter)	0.0151
6	19/4	Private	(Dry)	175 (Square Meter)	0.0175
7	3/1	Private	(Dry)	202.343 (Square Meter)	0.0202343
8	3/2	Private	(Alination)	151 (Square Meter)	0.0151
9	3/4	Private	(Dry)	101 (Square Meter)	0.0101
10	4/1	Private	(Alination)	202.343 (Square Meter)	0.0202343
11	4/2	Private	(Alination)	151 (Square Meter)	0.0151
12	6/1	Private	(Dry)	379 (Square Meter)	0.0379
13	7/10	Private	(Dry)	75 (Square Meter)	0.0075
14	7/11	Private	(Dry)	75 (Square Meter)	0.0075
15	7/12	Private	(Dry)	126 (Square Meter)	0.0126
16	7/13	Private	(Dry)	25 (Square Meter)	0.0025
17	7/7	Private	(Dry)	25 (Square Meter)	0.0025
18	8/13	Private	(Dry)	252 (Square Meter)	0.0252
19	8/4	Private	(Alination)	151 (Square Meter)	0.0151
20	8/7	Private	(Dry)	151 (Square Meter)	0.0151
21	8/8	Private	(Dry)	101 (Square Meter)	0.0101
22	8/9	Private	(Dry)	50 (Square Meter)	0.005
Total					0.3747686

[F. No. Rw/BNG/Nll-373/Km79.830-80.650/15/2023/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director